<u>संख्या-5/2018/57/सैंतीस-2-2018-1(21)/12</u>

प्रेषक,

डा0 प्रहलाद बरनवाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 जनवरी, 2018

विषयः- **पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जि.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-308/सा0-1/एक्स-120(187)/जि.यो./2017-18, दिनांक-03.01.2018 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-53/2017/1084/सैंतीस-2-2017-1(21)/12, दिनांक-27.06.2017 व शासनादेश संख्या-93/2017/1815/सैंतीस-2-2017-1(21)/12, दिनांक-25.10.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) के अन्तर्गत निम्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्न जनपदवार विवरणानुसार रू0-102.45 लाख (रूपये एक करोड़ दो लाख पैंतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>मानक मद</u>	<u>स्वीकृत धनराशि (लाख में)</u>
01-वेतन	90.00
03-मंहगाई भत्ता	10.00
06-अन्य भत्ते	2.45
योग-	**102.45**

(रूपये एक करोड़ दो लाख पैंतालिस हजार मात्र)

1. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-12/2017/बी-1-1455/दस-2017-231/2017, दिनांक-20.11.2017 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक-27.12.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन/मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग/संबंधित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का होगा।
5. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-06-पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-20/2017/बी-2-1775/दस-2017-244/2017, दिनांक-27.12.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

पृ0सं0-5/2018/57(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-5/2018/57/सैंतीस-2-2018-1(21)/12, दिनांक-19 जनवरी, 2018 का संलग्नक:-

पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना) (धनराशि लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	योग
1	2	3	4	5	6
1	अलीगढ़	2.74	0.17	0.06	2.97
2	इलाहाबाद	0.42	0.05	0.00	0.47
3	औरैया	1.11	0.06	0.00	1.17
4	बलिया	1.97	0.47	0.00	2.44
5	बरेली	0.84	0.10	0.00	0.94
6	बस्ती	0.53	0.07	0.00	0.60
7	भदोही	1.69	0.11	0.00	1.80
8	बिजनौर	2.89	0.62	0.32	3.83
9	बुलन्दशहर	0.43	0.06	0.00	0.49
10	चन्दौली	0.95	0.02	0.00	0.97
11	चित्रकूट	0.14	0.00	0.00	0.14
12	अमेठी	0.50	0.03	0.00	0.53
13	एटा	10.00	0.60	0.00	10.60
14	फर्रूखाबाद	5.00	0.62	0.60	6.22
15	फतेहपुर	0.68	0.05	0.00	0.73
16	फिरोजाबाद	1.01	0.01	0.00	1.02
17	गौतमबुद्धनगर	1.21	0.02	0.00	1.23
18	गाजीपुर	4.00	0.25	0.00	4.25
19	गोरखपुर	0.97	0.19	0.00	1.16
20	हरदोई	3.00	0.81	0.00	3.81
21	हाथरस	3.00	0.70	0.00	3.70
22	अमरोहा	1.19	0.19	0.00	1.38
23	जौनपुर	1.10	0.02	0.00	1.12
24	कन्नौज	1.36	0.01	0.01	1.38

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

25	कानपुर देहात	2.13	0.27	0.00	2.40
26	कासगंज	1.50	0.25	0.08	1.83
27	लखनऊ	1.20	0.04	0.00	1.24
28	महोबा	3.25	0.00	0.00	3.25
29	मैनपुरी	6.00	1.16	0.00	7.16
30	मथुरा	1.00	0.11	0.10	1.21
31	मेरठ	2.32	0.20	0.42	2.94
32	मिर्जापुर	1.43	0.13	0.00	1.56
33	मुरादाबाद	1.82	0.19	0.00	2.01
34	मुजफ्फरनगर	0.60	0.01	0.04	0.65
35	रायबरेली	2.63	0.36	0.00	2.99
36	रामपुर	0.89	0.05	0.00	0.94
37	हमीरपुर	0.90	0.17	0.15	1.22
38	सम्भल	1.90	0.15	0.00	2.05
39	संतकबीरनगर	1.00	0.13	0.00	1.13
40	शाहजहांपुर	1.90	0.40	0.10	2.40
41	सुल्तानपुर	3.46	0.18	0.00	3.64
42	सोनभद्र	3.34	0.54	0.38	4.26
43	उन्नाव	2.09	0.14	0.00	2.23
44	वाराणसी	0.72	0.00	0.05	0.77
45	इटावा	1.00	0.06	0.00	1.06
46	आजमगढ़	1.00	0.05	0.00	1.05
47	मऊ	1.19	0.18	0.14	1.51
योग-		**90.00**	**10.00**	**2.45**	**102.45**

(रूपये एक करोड़ दो लाख पैंतालिस हजार मात्र)

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।